न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/122

1. मुरलीमनोहर आत्मज मांग्या जाति कुम्हार
2. मोहनबाई पुत्री मांग्या जाति कुम्हार
3. बालचंद पुत्र मथुरा जाति कुम्हार
4. सीताबाई पुत्री मथुरा जाति कुम्हार

निवासीगण ग्राम हीरियाखेड़ी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

– अपीलांटगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
2. ग्राम पंचायत हिरियाखेडी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत हिरियााखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
3. श्री पंकज मेरोठा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

निर्णय **दिनांक 31.07.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 95/2020 (पुराना नम्बर 20/2016) मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांटगण द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि ग्राम हीरया खेड़ी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में माफी रिज्युम खेल भराई समस्त ग्राम वासियान मांग्या, मथुरा, पिसरान रामा कुम्हार के नाम निम्न विवरण की 4 किता 22 बीघा 1 बिस्वा 1 बिस्वा भूमि स्थित चली आ रही थी जिसके बाद सेटलमेंट खसरा नम्बर 03, 09, 10, 11, 14, 15, 2021, 29, 30, 31 कुल किता 11 कुल रकबा 3.58 हैक्टेयर कायम किए गए है। मांग्या व मथुरा पिसरान रामा जी अपने जीवनकाल में खेल भराई का काम किया करते थे। ग्राम वासियान ने कभी भी खेल भराई का काम नहीं किया और उनकी मृत्यु के बाद वादीगण खेल भराई का काम करते चले आ रहे थे तथा वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर

काश्त करते चले आ रहे है। मांग्या व मथुरा की मृत्यु के बाद उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में माफी खेल भराई समस्त ग्राम वासियान मुरली मनोहर आत्मज मांग्या, मोहनबाई पुत्री मांग्या, बालचन्द्र पुत्र मथुरा कजोड़ी बाई, सीताबाई पुत्री मथुरा जाति कुम्हार के नाम दर्ज चली आ रही है। ग्राम वासियान द्वारा खेल भराई नहीं करने पर व माफी रिज्युम हो जाने से उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में माफी खेल भराई समस्त ग्रामवासियान का नाम हटाया जाना आवश्यक हो गया है। अन्त में वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित किए जाने का निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी जो माफी रिज्युम खेल भराई की भूमि है के राजस्व रिकॉर्ड में से खेल भराई समस्त ग्रामवासियान का नाम हटाया जाकर वादीगण का नाम रहने व खातेदार दर्ज किये जाने की घोषणा की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करें और ना ही वादीगण को बेदखल करें।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2019 को वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.5.2019 के विरूद्ध अपीलांटगण की ओर से प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में प्रस्तुत की गई। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2019 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 09.04.2025 को वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2025 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2025 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 2जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2025 विधि न्याय एवं संचिका में प्राप्त सिद्धी के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 को लागू कानूनी प्रावधान के विपरीत जाकर उनका सम्यक विवेचन किये बिना ही मनमाने तौर पर अवैध एवं गैर कानूनी रूप से निर्णय व डिक्री जैर अपील सादिर फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के परिप्रेक्ष्य में प्रभावी कानून द राजस्थान लेण्ड रिफोम्स एण्ड रिजम्पश्न ऑफ जागीर एक्ट 1952 का विवेचन किये बिना ही खिलाफ कानून जाकर सरसरी तौर पर दावा वादीगण खारिज फरमाने में त्रुटि की है।क अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि ग्राम हीरियाखेड़ी तह० रामगंजमण्डी जिला कोटा की उक्त वाद वर्णित आराजी वादीगण अपीलांटगण के पूर्वज मांग्या व मथुरा पिसरान रामा जी को खेल भराई के कार्य के एवज में बक्शीश में प्राप्त हुई थी तथा तत्समय से ही वादीगण अपीलांट के पूर्वज व उनके स्वर्गवास के उपरांत से वादीगण अपीलांट्स उक्त वाद वर्णित आराजी पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा वर्तमान में भी काबिज है। चूंकि दी राजस्थान लेण्ड रिफोर्स रिजम्पशन ऑफ जागीर एक्ट 1952 के प्रभावशील होने के समय वादीगण अपीलांट्स के पूर्वज उक्त वाद वर्णित माफी खेल भराई की आराजी में कृषक के रूप में दर्ज रेकार्ड थे तथा उक्त भूमि पर काबिज काश्त थे इस कारण वादीगण अपीलांट्स के पूर्वज मांग्या व मथुरा पिसरान रामा जी बाई आपरेशन ऑफ लॉ स्वतः ही उक्त आराजी के खातेदार बन गये थे। वादीगण अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2014–33 से यह तथ्य भली भांति प्रमाणित था। वादीगण अपीलांटगण उपरांत माफी रिज्यूम होने से तत्समय कृषक के रूप में दर्ज व्यक्ति उक्त एक्ट की धारा 9 के प्रावधान के अनुसार बाई आपरेशन ऑफ लॉ स्वतः ही खातेदार कृषक हो गये है। तत्समय से ही उक्त भूमि बहैसियत खातेदार कृषि धारण कर काश्त करते चले आ रहे है तथा ऐसे सभी कृषक राजस्व अभिलेख में दुरस्त करवाकर खातेदार घोषित होने के अधिकारी है। वादीगण अपीलांट्स की उपरोक्तानुसार वाद वर्णित आराजी के खातेदार घोषित होने तथा तद्नुसार राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के विपरीत जाकर दावा वादीगण खारिज फरमाने में त्रुटि की है। माननीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने के पश्चात ग्राम पंचायत रेस्पो० संख्या 2 को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनाया गया। पक्षकार बनाने के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा अपना इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा वादी का वाद स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स के वाद को खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। समस्त दस्तावेजो एवं साक्ष्यो से अपीलांट्स द्वारा अपने वाद पत्र को पूर्णतया प्रमाणित कर दिया गया था इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स के वाद को खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। तनकी संख्या 1 अपीलांटगण

के विरूद्ध तय करने में भारी गलती की है जबकि अपीलांटगण द्वारा समस्त दस्तावेजो के आधार पर अपने वाद को प्रमाणित कर दिया गया था। जमाबन्दी खतौनी सम्वत 2014 से 2033 में वादग्रस्त आराजी मात्र खेल भराई और कॉलम संख्या 4 में मांग्या और मथरा पिसरान रामा, कौम कुम्हार दर्ज है जिसकी खतौनी संख्या अपील के साथ संलग्न है। तनकी संख्या 3 अपीलांट्स के विरूद्ध तय करने में भारी गलती की है जबकि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट्स निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। Rajasthan Land Reform and Resumption of jagir act 1952-khatedari right in jagir land-Every tenant in jagir land who at the commencement of this act is entered in the revenue records as a khatedar] pattedar kharedar or under any description implying that the th tenant has heritable and full transferable rights in the tenancy hall continue to have such rights shall be called as khatedari tenant in respect of such land. उक्त वाद में स्पष्ट रूप से लागू होता है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत 1996 आर.आर.डी. 535(एस.सी.) 1987 आर.आर.डी. पेज 261 (एल.बी.), 1988 आर.आर.डी. पेज 133(डी.बी.), 1989 आर.आर.डी. पेज 651(डी.बी.) प्रस्तुत किए। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2025 निरस्त किए जाने तथा वादीगण अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत दावा स्वीकार किया जाकर मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री किए जाने तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो आवश्यक हो वादीगण अपीलांट को प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किए जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने का कथन किया तथा अपील का विधि अनुसार निस्तारण किए जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादीगण अपीलांटगण द्वारा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम हीरिया खेड़ी तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 3, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 29, 30, 31 कुल किता 11 कुल रकबा 3.58 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में खेल भराई समस्त ग्राम वासियान का नाम हटाया जाकर वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी ग्राम हीरियाखेड़ी सम्वत् 2018 से 2021 के अनुसार खाता संख्या 84 में दर्ज कुल किता 4 कुल रकबा 22 बीघा 1 बिस्वा आराजी माफि रिज्युम्ड

समस्त ग्राम वासियान सहित मांग्या, मथरा, बीरमाकुमार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–2 जमाबंदी भू–प्रबन्ध सम्वत् 2014 से 2033 के अनुसार खाता संख्या 61 में माफी खैल भराई मांग्या व मथुरा पि. रामा कौम कुम्हा सा. देह दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–3 जमाबंदी सम्वत् 2034 से 37 के अनुसार ग्राम हीरियाखेड़ी की खाता संख्या 58 में वादग्रस्त आराजी माफी खैल भराई मांग्या, मथुरा पि. रामा कौम कुम्हार सा. देह दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श 4 व प्रदर्श 6 मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध सम्वत् 2014 से 2033 तथा भू–प्रबन्ध दिनांक 29.10.2004 से दिनांक 28.1.2024 का है। प्रदर्श–5 नक्शा ट्रेस है। प्रदर्श–8 जमाबंदी ग्राम हीरियाखेड़ी सम्वत् 2068 से 2071 के अनुसार खाता संख्या 168 में राजस्थान सरकार माफी खेल भराई समस्त ग्रामवासियान सा. देह मुरलीमनोहर पुत्र मांग्या, मोहनबाई पुत्री मांग्या, बालचन्द पुत्र मथुरा, कजोड़ीबाई, सीताबाई पुत्रियॉ मथुरा जाति कुम्हार सा. देह दर्ज है। प्रदर्श–9 खसरा गिरदावरी ग्राम हीरियाखेड़ी सम्वत् 2070 में खातेदार/गैर खातेदार के कॉलम संख्या 5 में माफी खेल भराई समस्त ग्राम वासियान सा.देह दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–10 नकल जमाबंदी ग्राम हीरियाखेड़ी सम्वत् 2038 से 2041 के अनुसार खाता संख्या 93 में माफी रिज्युम खेल भराई समस्त ग्राम वासियान सा. देह मांग्या, मथुरा पि. रामा कौम कुम्हार सा. देह खेल की माफी दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–11 जमाबंदी ग्राम हीरियाखेड़ी सम्वत् 2034 से 2037 के अनुसार खाता संख्या 84 में माफी रिज्युम खेल भराई समस्त ग्राम वासियान सा. देह मांग्या, मथरा पि. रामा कौम कुम्हार सा. देह खेल की माफी दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–12 लगायत प्रदर्श 16 के अनुसार नकल जमाबंदी ग्राम हीरियाखेड़ी के अनुसार खाता संख्या 168 की भूमि माफी रिज्यु खेल भराई समस्त ग्रामवासियान सा. देह मुरलीमनोहर पुत्र मांग्या, मोहनबाई पुत्री मांग्या, बालचन्द पुत्र मथुरा, कजोडीबाई सीताबाई पुत्रियां मथुरा जाति कुम्हार सा. देह दर्ज रिकॉर्ड है। अतः वादग्रस्त आराजी भू–प्रबन्ध के पूर्व से ही निरन्तर माफी खेल भराई के रूप रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। अपीलांटगण वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में माफी खेल भराई का अंकन त्रुटिपूर्ण रूप से किया जाना प्रमाणित होता हो। वादग्रस्त आराजी भू–प्रबन्ध से पूर्व माफी खेल भराई दर्ज रिकॉर्ड थी तथा भू–प्रबन्ध के पश्चात वादग्रस्त आराजी माफी खेल भराई समस्त ग्रामवासियान के नाम दर्ज हो गई। अपीलांटगण ने समस्त ग्रामवासियान के नाम त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज किए जाने के समर्थन में भी कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलांटगण ने ऐसा कोई आदेश भी हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वादग्रस्त आराजी भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के तहत माफी रिज्युम होकर वादीगण अपीलांटगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए हो। कूननन वादी/अपीलांट को अपने वाद/अपील में अंकित कथनों को ठोस दस्तावेज/साक्ष्यों के द्वारा स्वयं प्रमाणित करना आवश्यक होता है। अपीलांट ने हमारे हस्तगत वाद एवं अपील में अंकित कथनों के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वादग्रस्त आराजी में उनका हक अधिकार प्रमाणित होता हो। हमारे मत में केवल मोखिक कथनों के आधार पर वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अतः

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2025 में वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वाद में अंकित कथनों को प्रमाणित करने में असफल रहने के आधार पर वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने जो आदेश अंकित किया है वह विधि सम्मत है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2025 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 94/2016(पुराना नम्बर 20/2016) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2025 यथावत रखी जाती है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

11. निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31/7/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मुरलीधर प्रतिहार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2025/122

1. मुरलीमनोहर आत्मज मांग्या जाति कुम्हार
2. मोहनबाई पुत्री मांग्या जाति कुम्हार
3. बालचंद पुत्र मथुरा जाति कुम्हार
4. सीताबाई पुत्री मथुरा जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम हीरियाखेड़ी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

— अपीलांटगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
2. ग्राम पंचायत हिरियाखेडी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत हिरियााखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

—रेस्पोडेन्टगण

वाद संख्याः 95/2020 (पुराना नम्बर 20/2016)

1. मुरलीमनोहर आत्मज मांग्या जाति कुम्हार
2. मोहनबाई पुत्री मांग्या जाति कुम्हार
3. बालचंद पुत्र मथुरा जाति कुम्हार
4. सीताबाई पुत्री मथुरा जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम हीरियाखेड़ी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0.

—वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
2. ग्राम पंचायत हिरियाखेडी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत हिरियााखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

—प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 95/2020 (पुराना नम्बर 20/2016) में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.04.2025 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 31.07.2025 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री रामबाबू मालव तथा रेस्पोडेन्ट क्रम 02 की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री पंकज मेरोठा के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 95/2020 (पुराना नम्बर 20/2016) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2025 यथावत रखी जाती है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

4. यह डिक्री आज तारीख 31.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

31/7/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा